REVIEWS OF LITERATURE
IMPACT FACTOR : 3.3754 (UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48385 ISSN: 2347-2723
VOLUME - 5 | ISSUE - 9 | APRIL - 2018

कानून की जानकारी

डॉ. विमल ग्यानोबा सूर्यवंशी

प्रस्तावना :

कानून जन आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। किसी देश या समाज की सभ्यता का परिचय उस समाज में लागू कानूनों को देखने से मिल जाता है। समाज एक मशीन की तरह है, उसे ठीक ढंग से चलाने के लिए कुछ कायदे कानून बनाने पडते है। तभी समाज की तरक्की संभव है। समाज में कई तरह के लोग होते हैं । कुछ मेहनत करनेवाले होते हैं तो कुछ दूसरों की मेहनत का बैठे बैठे फायदा उठाना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें चाहे चोरी करनी पड़े चाहे डाका डालना पडे । ऐसा करते हुए भले उन्हें दूसरों की हत्या तक करनी पडे। लेकिन कोई भी भला समाज इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता । इसे निपटने के लिए समाज को कानून बनाना पड़ता है। मनुष्य की प्रकृति भी अलग अलग होती है। इनमें कुछ स्वेच्छाचारी नहीं होते, लेकिन कुछ स्वेच्छाचारी होते है। ये यौनाचार में अपने मन की चलाना चाहते हैं। स्त्री और पुरुष का एक दूसरे के प्रति आकर्शित होना बिल्कुल स्वाभाविक है। स्वेच्छाचारी स्त्री तथा पुरुष स्वच्छंद घूमना पसंद करते है। कोई भी समाज इसकी अनुमति नहीं दे सकता । फिर मनुष्य तथा मनुष्येतर प्राणियों में अंतर क्या रहा? इसलिए समाज ने विवाह जैसी पवित्र संस्था को जन्म दिया और विवाह से जुडे कानून बनाये । इस तरह हम देखते है की किसी समाज में चलनेवाले कानून समाज की आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करते हैं।

कानून पर आगे कुछ कहने से पहले यह उचित होगा कि हम प्राकृतिक और अप्राकृतिक मसले पर थोडा विचार कर लें । जो प्रकृती के अनुसार है वह प्राकृतिक है। सच तो यह कि सब प्रकृति के अनुसार ही चलता है, आखिर प्रकृति है या ईश्वर है। जो ईश्वर को नहीं मानते वे प्रकृति को ही सर्वशक्तिमान मानते है। अप्राकृतिक ओ कुछ भी नहीं है। फिर भी सामान्य व्यवहार में हम प्राकृतिक अप्राकृतिक की बात तो करते ही है। जो सामान्य दिखाई देता है उसे हम प्राकृतिक कहते है, जो असामान्य दिखाई देता है उसे अप्राकृतिक कहते है । आदमी के हाथ में पाँच अँगुलियाँ होती हैं, यह प्राकृतिक नियम हैं किन्तु यदि आदमी के हाथ में छह अंगुलियाँ है तो अह अप्राकृतिक है । किन्तु क्या यह सचमुच अप्राकृतिक है? कदापि नहीं, प्रकृति के नियमों के अनुसार यह हुआ है। वैशाख या जेष्ठ में आम के फलों का होना प्राकृतिक है किन्तु माघ और पूस में आम के फलों का होना अप्राकृतिक है। समाज में अप्राकृतिक चीजों का होना अशुभ भी माना जाता है। किन्तु क्या वस्तुतः ये चीजे अशुभ या अप्राकृतिक है? वास्तव में हम प्रकृति के बाहर जा ही नहीं सकते, फिर भी हम प्राकृतिक–अप्राकृतिक का भेद मानते है।

हम मान लेते है कि सब प्राकृतिक है। अब प्रश्न है कि प्राकृतिक क्या–क्या है? प्राकृतिक वस्तुओं में कुछ समाज के लिए कल्याणकारी है तो कुछ अकल्याणकारी है । किसी की पीड़ा को देखकर हृदय का द्रवित हो उठना और उसकी मदद के लिए तत्पर हो जाना प्राकृतिक किर्या है, किसी दुर्बल को पिटता देखकर उसे बचाने के लिए

उद्यत हो जाना भी एक प्राकृतिक क्रिया है। करुणा, दया, उत्साह, धैर्य, साहस ये सभी गुण प्राकृतिक गुण हैं इसके विपरीत कई ऐसे गुण है जो प्राकृतिक तो है किंतु समाज के लिए हितकारी नहीं है।

चोरी करना, डकैती डालना, दूसरों को पीड पहुँचाना, दूसरों को रोता देखकर प्रसन्न होना, ये भी प्राकृतिक गुण हैं किन्तु ये किसी भी रूप में समाज के लिए कल्याणकारी नहीं है । इससे एक बात स्पष्ट है कि जो कुछ प्राकृतिक है वह सब कल्याणकारी नहीं है । एक ताजा उदाहरण समलैंगिकता का है" उच्च न्यायालय ने इसे उचित ठहराया है, इसे वैध बताया है। पुरुष का पुरुष के प्रति आकर्षण, स्त्री का स्त्री के प्रति आकर्षण सहज स्वाभाविक है । तो क्या किसी कृत्य को केवल इसी आधार पर सही ठहराया जा सकता है? कदापि नहीं । यदि ऐसा किया गया तो अनर्थ हो जाएगा। चोरी, डकैती, हत्या बलात्कार, पूटपाट, जुआ, शराबखोरी, वेश्यागमन सब प्राकृतिक है। समलैंगिकता को सही ठहराने के लिए यह बतलाया गया कि दोनों पक्षों में सहमति हो । जब तो जुआ खेलना सही है, क्योंकि जुआ खेलनेवाले आपस में सहमति रखते है। वेश्यागमन भी सही है, क्योंकि दोनों में आपसी सहमति होती है । मिलजुल कर शराब पीना भी सही है। कहाँ तक गिनाएँ, बहुत कुछ सही और प्राकृतिक ठहर सकता है। इसलिए समलैंगिकता को सही ठहराने के लिए यह कहना कि यदी वह आपसी सहमति पर टिका है तो सही है, बेमानी है ।

कानून से ऊपर कोई नहीं समाज में कई ऐसे वर्ग है जो अपने को कानून से ऊपर मानते है। संसद और संसद के सदस्य आने को कानून से ऊपर मानते है। उनका तर्क है कि संसद कानून बनाती है, इसलिए संसद कानून से ऊपर है, संसद कानून का जनक है, संसद सर्वोच्छ है । लेकिन उनका यह तर्क बचकाना है । लोकतंत्र में कानून सर्वोपरि होता है । कानून का शासन होता है । राजा या किसी व्यक्ति का शासन नहीं होता । कानून का जनक होने से संसद कानुन से ऊपर नहीं हो जाती, वह कानून की हत्या नहीं कर सकती । माता–पिता बच्चे को जन्म देते है, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि वे बच्चे को मार सकते है । हम पेड पौधे लगाते है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम जब चाहेंगे उन्हें उखाड फेकेंगे । यह दण्डनीय अपराध है। इसलिए यह सोचना कि हम कानून बनाते हैं इसलिए उसे तोड सकते है । बिल्कुल गलत और बचकानी बात है। न्यायालय और न्यायाधीश भी कानून से ऊपर नहीं है । कभी–कभी उन्हें भी भ्रम हो जाता है कि वे कानून से ऊपर है। न्याय की कुर्सी पर बैठकर न्याय करने का अर्थ यह कदापि नहीं है कि न्यायाधीश कानून से ऊपर या बाहर है। कानून से बाहर जाकर वह फैसला नहीं कर सकता । बल्कि उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वह कानून की व्याख्या करते समय शब्दार्थ और वाक्यार्थ से आगे बढकर कानून के पीछे छिपे भावार्थ या निहितार्थ की रक्षा करे । यह सही है कि कानून और न्याय साथ–साथ चलते है, किन्तु कभी–कभी वे अलग भी दिखाई देते है। तब न्याय को कानून से ऊपर मानना होगा । न्याय कानून का निहितार्थ है, कानून उसके लिए है न्याय कानून के लिए नहीं है। वकील और कानून के सम्बन्धों को भी देखें । वकील कानून का व्याख्याता है" व्याख्याता होने से वह कभी–कभी कानून को अपने घर की चीज़ समझने लगता है। वह कानून की व्याख्या तोडमरोड कर करने लगता है। भाषा ऐसी नाजुक चीज है कि उसे आसानी से तोडामरोडा जा सकता है। एक वाक्य के अनेक अर्थ लगाये जा सकते है। वकील का काम अपने मुशकिल का हमेशा बचाव करे, भाले उसने अपराध किया हो । न्याय दिलाने का मतलब है अपराध के अनुसार दण्ड दिलाना । यदि अपराधी को दो महीने जेल जाने का दण्ड मिलना चाहिए तो उसे दो महीने की ही सजा मिलनी चाहिए, न उससे कम न उससे ज्यादा । यह न्याय है । किन्तु वकील अपने मुशकिल को बचाने का हर संभव प्रयत करता है। खूनी को बचाने में वह अपनी शान समझता है। इससे उसे पैसा व शोहरत मिलती है" और उसे क्या चाहिए? लेकिन वह यही नहीं समझता कि इससे अपराध को बढावा मिलता है। इस तरह वकील भी कानून का गलत ढंग से इस्तेमाल करता है । जैसा कि आप जानते हैं कि कानून का पालना पुलिस के बल से कराया जाता है। पुलिस यह बात अच्छी तरह जानती है। इसका परिणाम यह है कि पुलिस अपने आप को कानून से ऊपर मानने लगती है, वह कानून को अपने हाथ में लेने से हिचकिचाती नहीं। वह बिना सोचे समझे डंडे बरसाने लगती है। वह यह भूल

जाती है कि उसे बल प्रयोग का अधिकार तबी प्राप्त है जब अभियुक्त भागने की कोशिश करे या आक्रमक हो, अन्यथा नहीं। उसका कर्तव्य इतना ही है कि अभियुक्त को गिरफ्तार करे और उसे न्यायालय में खडा करे । लेकिन इतना कौन सोचता है। सिपाही तो सिपाही, एक आई ए एस अधिकारी थे वे भी डंडा चलाने से नहीं चूकते थे। लोग बताते हैं कि वे बडे इमानदार अधिकारी थे। लेकिन डंडा चलाने का अधिकार उन्हें किसने दिया? अधिकारी को केवल यह अधिकार प्राप्त है कि वह कानूनी कार्यवाई करे "कल को मुख्यमंत्री या प्रधान मंत्री अपने हाथ में डंडा पकड ले तो कैसा लगेगा?

कानून का सम्बन्ध धर्म से क्या है, यह भी विचारणीय है। कहा जाता है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं किन्तु धर्म के हाथस उससे भी लंबे होते है। यदि कोई चोरी करते हुए नहीं पकडा गया तो वह कानून की गिरफ़्त से बाहर हो गया। यदि कोई निर्जन स्थान में किसी की हत्या कर देता है तो वह बच जाएगा । किन्तु धर्म की पकड से कोई बच नहीं सकता । निर्जन से निर्जन स्थान में कोई धर्म की आँख में धूल नहीं झोक सकता। धर्म हमेशा हमारे साथ रहता है । यदि कोई कानून के डर से चोरी नहीं करता तो वह मौका पाकर जरूर चोरी करेगा । किन्तु यदि कोई धर्म के भाय से चोरी नहीं करता तो वह कहीं भी, कभी भी चोरी नहीं करेगा । क्योंकि धर्म हमेशा साथ रहता है। कानून के मुकाबले धर्म के केवल हाथ लंबे नहीं होते, बल्कि कानून के मुकाबले धर्म की व्यापकता भी अधिक होती है। कानून से किन–किन की रक्षा होती है? कानून से मनुष्य की रक्षा होती है, चोरी से, डकैती से, हत्या से, जुलम और अत्याचार से । कानून मनुष्यों के अलावा हरे भरे पेड पौधों की भी रक्षा करता है, विशेष पशु–पक्षियों की भी रक्षा करता है। हरे पेडों को काटना कानून अपराध है । इसी तरह जंगली जानवरों का शिकार करना भी अपराध की श्रेणी में आता हैं। किन्तु अब भी ऐसे अनेक प्राणि इस संसार में हैं जिनकी रक्षा कानून नहीं करता । इनकी रक्षा कैसे हो? चींटी, छिपकली, गिलहरी, गिरगिट, कौवा, मैना, गौरैया आदि प्राणियों की रक्षा कैसे हो? यहाँ कानून नहीं, धर्म रक्षा करेगा । जो धर्म से प्रेरित होगा वह इन प्राणियों को नहीं मारेगा । धर्म से पाप और पुण्य की कल्पना की गयी है। पाप का डर आदमी को चींटी, छिपकली, गिलहरी आदि को मारने से रोकेगा । पाप का डर तो उनके लिए है जो स्वभाव से कोमल हृदय नहीं है। जो स्वभाव से कोमल हैं उनके लिए पाप के डर की बात ही नहीं है। पुण्य की कल्पना का क्या महत्व है? बुरे कामों से दूर करने के लिए कानून का डर होता है या पाप का डर होता है । किन्तु अच्छे कामों को करने की प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? इस मामले में कानून से तो कोई मदद मिलने से रही । किसी दीन दुःखी व्यक्ति की सहायता करने के लिए कानून आपको बाध्य नहीं कर सकता यदि आप उसकी सहयता नहीं करते तो आपको पा भी नहीं लगेगा । फिर क्या हो जिससे उस दीन दुःखी व्यक्ति की सहायता हो सके? यहाँ पुण्य की कल्पना काम करेगी । पुण्य के लिए एक व्यक्ति दीन दुःखी की सहयता करने को उद्यत होगा । व्यास ने अपने अठारह पुराणों में जो कहा है उसका सार दो वचनों में कहा जा सकता है–

अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनं दुयम।
परोपकारं पुण्याय पापाय परपीडनम ।

जो व्यक्ति स्वभाव से कोमल है, जिसका हृदय दूसरों के दुःख देखकर पिघल जाता है वह परोपकार के लिए सदैव तैयार रहता है । वह पुण्य के लिए दूसरों का हित करने नहीं चलता । लेकिन बहुत से आदमी पुण्य के लिए दुसरों का हित करने चलते है। यही पुण्य का माहात्म्य है" पाप पुण्य की कल्पना ऋषियों की अनोखी व्यवस्था है । कुमार्ग से व्यक्ति को हटाने के लिए तथा सुमार्ग पर व्यक्ति को ले जाने के लिए पाप तथा पुण्य की कल्पना की गयी । इस तरह हम देखते हैं कि धर्म कानून के मुकाबले अधिक व्यापक तथा कारगर है।

कानून या विधि का मतलब है मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित और संचालित करने वाले नियमों, हिदायतों, पाबन्दियों और हक्कों की संहिता है। लेकिन यह भूमिका तो नैतिक, धार्मिक और अन्य सामाजिक संहिताओं की

भी होती है। दरअसल, कानून इन संहिताओं से कई मायनों में अलग है। पहली बात तो यह है कि कानून सरकार द्वारा बनाया जाता है, लेकिन समाज में उसे सभी के ऊपर समान रूप से लागू किया जाता है।

दूसरे राज्य की इच्छा का रूप लेकर वह अन्य सभी सामाजिक नियमों और मानकों पर प्राथमिकता प्राप्त कर लेता है। तीसरे, कानून अनिवार्य होता है अर्थात नागरिकों को उसके पालन करने के चुनाव भी स्वातंत्रता नहीं होती । पालन न करने वाले के लिए कानून में दण्ड की व्यवस्था होती है। लेकिन कानून केवल दण्ड ही नहीं देता वह व्यक्तियों या पक्षों के बीच अनुबंध करने विवाह, उत्तराधिकार, लाभों के वितरण और संस्थाओं को संचालित करने के नियम भी मुहैया करता है। कानून स्थापित सामाजिक नैतिकताओं की पुष्टि की भूमिका भी निभाता है। चौथे कानून भी प्रकृति सार्वजनिक होती है क्योंकि प्रकाशित और मान्यता प्राप्त नियमों की संहिता के रूप में उसकी रचना औपचारिक विधायी प्रक्रियाओं के जरिये की जाती है। अंत में कानून में अपने अनुपालन की एक नैतिक बाध्यता निहित है जिसके तहत वे लोग भी कानून का पालन करने के लिए मजबूर होते है, जिन्हे वह अन्यायपूर्ण लगता है। राजनीतिक व्यवस्था चाहे लोकतांत्रिक हो या अधिनायकवादी, उसे कानून की किसी न किसी संहिता के आधार पर चलना पडता है। लेकिन लोकतांत्रिक हो गये या न्यायपूर्ण न समझे जाने वाले कानुन को रद्द करने और उसकी जगह नया बेहतर कानून की एक उल्लेखनीय भूमिका समाज को संघटित शैली में चलाने के लिए नागरिकोंको शिक्षित करने की भी मानी जाती है।

शुरुआत में राजनितीकशास्त्र के केंद्र में कानून का अध्ययन ही था । राजनीतिक दार्शनिक विधी के सार और संरचना के सवाल पर जबरदस्त बहसों में उलझे रहे है। कानून के विद्वानों को मानवशास्त्र, राजनीतिक, अर्थशास्त्र, नैतिकशास्त्र और विधायी मूल्य –प्रणाली का अध्ययन भी करना पडता है।

संविधान सम्मत आधर पर संचालित होनेवाले उदारतावादी लोकतंत्रों में कानून के शासन की धारणा प्रचलित होती है। इन व्यवस्थाओं में कानून के दायरे के बाहर कोई काम नहीं करता न व्यक्ति और न ही सरकार । इसके पिछे कानून का उदारतावादी सिद्धांत है जिसके अनुसार कानून का उद्देश्य व्यक्ति पर पाबंदियाँ लगना न हो कर उसकी स्वतंत्रता की गारंटी करना है।

उदारतावादी सिद्धांत मानता है कि कानून के बिना व्यक्तिगत आचरन को संचलित करना नामुमकिन हो जाएगा, और एक के अधिकारों को दूसरे के हाथों हनन से बचाया नहीं जा सकेगा । इस प्रकार जाँन लॉक की भाषा में कानून का मतल है जीवन, स्वतंत्रता और सम्पति की रक्षा के लिए कानून उदारतावादी सिद्धांत स्पष्ट करता है। राजनीतिक प्रभावों से निरपेक्ष रहनेवाले एक निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जाती है ताकि कानून की व्यवस्थित व्याख्या करते हुए पक्षकारों के बीच उसके आधार पर फैसला हो सके । मार्क्सवादियों की मान्यता है कि कानून के शास्त्र की अवधारणा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी करने के नाम पर सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों की रक्षा करते हुए पूँजी वादी व्यवस्था की सुरक्षा के काम आती है।

कानून इसलिए कानून है कि उसका पालन करवाया जाता है। और करना पडता है। विविध प्रत्येक्षतावाद की कही अधिक व्यावहारिक और नफीस व्याख्या एच.एल.ए हार्ट की रचना दे कंसेप्ट आफ माँ १९६१ में मिलती है। हार्ट कानून को नैतिक नियमों के दायरे से निकाल कर मानव समाज के संदर्भ में परिभाषित करना है।

कानूनी अधिकार जो हर भारतीय को पता होना आवश्यक है।

ऐसे १६ कानूनी अधिकार जो हर भारतीय को पता होना आवश्यक है। भारत एक विकासशील देश है, भारत में रहनेवाले बहुत सारे नागरिकों को अपने कानूनी अधिकार नहीं पता होने जिसकी वजह से हम भ्रष्टाचार और चौखाबाजी का शिकार हो जाते है। इस लेख में हम आपको बतायेंगे आपके १६ अधिकार और कानून के नियम जिनकी जानकारी होना आपके लिए बहुत आवश्यक और फायदेमंद है।

१) भारत में केवल महिला पुलिस अधिकारी के पास ही महिलाओं का गिरफ्तार करके सुरक्षित थाने में ले जाने का अधिकार होता है। अगर भारत में किसी महिला को पुरुष पुलिस अधिकाई गिरफ्तार करके थाने में लेकर जाता है तो इसको अपराध माना जायेगा और ऐसे पुलिस अधिकारियों पर कानूनी कारवाई की जा सकती है। अगर किसी महिला को रात के ६ बजे से लेकर सुबह के ६ बजे सम्य के बीच पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा जाता है तो उस महिला को अधिकार है कि वह पुलिस स्टेशन आने से मना कर सकती है।

२) अगर आपके एल.पी.जी के गैस सिलिंडर में विस्फोट होता है तो आपके ४० लाख रुपये तक का मुआवजा मिलता है । यह हर व्यक्ति का कानूनी अधिकार है।

३) इनकम टैक्स–अधिकारियों या कर वसूल करनेवाले अधिकारियों के पास आपको गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। अगर आप ने टेक्स नहीं दिया तो । टी.आर. ओ (Tax Recovery organization) के पास आपको गिरफ्तार करने का अधिकार होता है और उनकी मर्जी से ही आप जेल से छूट सकते है। इस नियम का उल्लेख वर्ष १९६१ के इनकम टेक्स एक्ट में किया गया है।

४) साइकल चलानेवालों पर कोई मोटार व्हेहिकल एक्ट नहीं लागू होता अगर आप रोजाना साइकल चलाते है तो आपको मोटर व्हेहीकल एक्ट के नियमों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मोटर व्हेहीकल एक्ट के अधीन साइकल और रिक्षा नहीं आते।

५) भारत में अभी भी बहुत सारे लोग लिव–इन रिलेशन्शीप को कानूनी अपराध मानते है। भारतीय कानून के अनुसार लिव–इन रिलेशनशिप में रहनेवाले पुरुष और महिला को बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। अगर, लिव–इन रिलेशन्शिप में बच्चे का जन्म होता है तो उसका माता–पिता की प्रापर्टी पर पूरा–पूरा अधिकार होगा।

६) भारत में अगर आप पर ट्रेफिक नियमों का उल्लंघन करने की वजह से दिन में एक बार जुर्माना लग गया है तो आप पर पुलिस अधिकारी पूरे दिन फिर जुर्माना नहीं लगा सकते उदाहरण के लिए अगर आप पर दिन में एक बार हेलमेट ना पहनने का चालन दिया गया तो रात तक आप बिना हेलमेट पहने घूम सकते है और ट्रेफिक अधिकारी आप पर जुर्माना नहीं लगा सकता ।

७) अगर पति–पती में सेक्स सम्बन्ध अच्छे नहीं है तो दोनों इस वजह को तलाक में सबूत के रूप में इस्तेमाल कर सकते है।

८) वर्ष १८६१ में बने पुलिस अक्ट के अनुसार भारत के हर राज्य का पुलिस अधिकारी हमेश डयूटी पर रहेगा । अगर किसी जगह पर अधीरात को भी कोई अपराध या घटना होती है तो पुलिसकर्मी को यह कहने का कोई अधिकार नहीं होता की वह डयूटी पर नहीं है । क्योंकि पुलिस एक्ट के अनुसार पुलिसकर्मी बिना वर्दी के भी हमेशा ड्युटी पर रहते है।

९) वर्ष १९५६ में बने हिंदू गोद और रखरखाव अधिनियम के अनुसार अगर आप हिंदू धर्म के है और आपके एक बच्चा है तो आप दूसरा बच्चा गोद नहीं ले सकते । अगर आपका कोई बच्चा नहीं है और बच्चा गोद लेना चाहते हो तो आपकी और बच्चे की उम्र में कम से कम २१ वर्ष का अंतर होना आवश्यक है।

१०) अगर आप सार्वजनिक जगह पर अवलील गतिविधियाँ करते हैं तो आपको तीन महीने थी सजा हो सकती है।

११) पुलिस का हैड–कॉन्स्टेबल किसी ऐसे अपराध के लिए आपको दंड नहीं दे स्कता जिसका जुर्माना १०० रुपये से अधिक हो, अगर आपने एक से अधिक कानून के नियमों का उलंघन किया तो आपका चालान किया जा सकता है।

१२) अगर कोई व्यक्ति आप से काम लेकर या आपसे पैसे उधार लेकर आपको भुगतान नहीं करता तो आप अदालत में उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते है। भारतीय अधिनियम के अनुसार अगर कोई

आपको भुगतान नहीं दे रहा तो रूप इस व्यक्ति के खिलाफ अदालत में उपयोजना लिख कर मामला दर्ज करवा सकते है । यह आपका कानूनी अधिकार होता है। आपके पास उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने का तीन साल का समय होता है जिससे अपने पैसे लेने है।

१३) आपके पास वस्तुकी अधिकतम खुदरा मूल्य (Maximum Retail Price) से कम किमत देने का अधिकार होता है। आप दुकानदार से कोई वस्तु सौदे के साथ भी खरिद सकते है। जैसे कि अगर किसी वस्तु का मूल्य १०० रूपये है जो आप सौदा करके उस वस्तु को ९० रूपये में भी खरीद सकते है।

१४) राजनीतिक दलों के पास चुनाव के समय आप से वाहन किराए पर लेने का अधिकार होता है। अगर आप वाहन देने के लिए तैयार है तो चुनाव के समय राजनीतिक दल आपसे आपका वाहन किराए पर ले सकते है।

१५) महिलाएँ पुलिस को ई–मेल के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करा सकती है। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में महिलाओं को ऐसी सुविधा दी है जिन में महिलाएँ घर बैठे बैठे अपनी शिकायत को ई–मेल के माध्यम से दर्ज करवा सकती है और उन्हें पुलिस स्टेशन आने की जरूरत भी नहीं पडेगी।

१६) अगर आप किसी कंपनी द्वारा भेंट किये हुए तोहफो को स्वीकार करते है तो आप पर कोई व्यक्ति रिश्वत लेने का मुकदमा चला सकता है। आजकल कंपनियों में लोगों को तोहफे भेजने की परम्परा बनती जा रही है। सरकार द्वारा इस तरह की परम्परा को खत्म करने के लिए वर्ष २०१० में एक कानुन बनाया गया और इस कानून के मुताबिक अगर आप किसी कंपनी से किसी तरह का तोहफा लेते हैं तो उसको रिश्वत समझा जायेगा और आप पर कानूनी कारवाई हो सकती है।